इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 15, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 31035-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० में, उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यत: पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २९ में, उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु किसी भी नगरपालिका के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यत: पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २९ में, क्रमशः नगरीय निकायों के वार्डों की संख्या तथा उनकी सीमाओं के निर्धारण का उपबन्ध है. वर्तमान में वार्डों को सम्मिलित करने या हटाने या उनमें सुधार करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देने की कोई समय-सीमा का कोई प्रावधान नहीं है. इससे मतदाता सूची तैयार करने तथा निर्वाचन का संचालन करने में काफी समस्याएं आती हैं और शहरी स्थानीय निकाय, राज्य निर्वाचन आयोग से परिसीमन के लिए अतिरिक्त समय दिये जाने के लिये हमेशा मांग करते रहते हैं और कई बार राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित समयावधि में निर्वाचन पूर्ण नहीं करा पाता है.

२. इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग की राय है कि वार्डों को सम्मिलित करने, हटाने या उसमें सुधार करने का कार्य नगरीय निकायों की अवधि के पूर्ण होने के छह माह पूर्व पूरा कर लिया जाये जिससे राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों का समय सीमा में निर्वहन कर सके और न्यायालयीन प्रकरण उत्पन्न ना हो. अतएव, इस स्थिति से निपटने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २९ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २८ नवम्बर, २०१६.

माया सिंह
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.